भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1380.

जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

पॉलिसीधारकों के लिए जोखिम का आकलन

1380. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा एकल कॉर्पोरेट समूह में केंद्रीकृत निवेश के कारण पॉलिसीधारकों की निधि पर जोखिम का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एलआईसी ने बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए उक्त निवेशों का स्वतंत्र मूल्यांकन अथवा जोखिम आकलन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने, पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने और अधिक जोखिम वाली कॉर्पोरेट कंपनियों में निवेश के किसी भी गलत केन्द्रीकरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया गया निवेश भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 और एलआईसी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों द्वारा अभिशासित होता है।

इन विनियमों के अनुसार, एक निवेशी समूह में सभी कंपनियों के लिए इक्विटी और ऋण दोनों में निवेश एक बीमा कंपनी द्वारा अनुरक्षित संबंधित निधियों के अंतर्गत राशि के 15% तक सीमित है। यह सीमा पॉलिसी धारक निधि में निवेश के संकेंद्रण और जोखिम को रोकने के लिए निर्धारित की गई है। एलआईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, इसका निवेश भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा निर्धारित एक्सपोजर मानदंडों के भीतर है।

(ख): एलआईसी का निवेश आंतरिक अनुसंधान रिपोर्टों के आधार पर विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। पोर्टफोलियो की सक्रिय रूप से निगरानी की जाती है और बाजार की स्थिति के अनुसार पुनर्संतुलन किया जाता है और पोर्टफोलियो की समीक्षा निवेश समिति द्वारा तिमाही रूप से भी की जाती है जो निगम बोर्ड की एक उप-समिति है। ऋण प्रस्तावों की संवीक्षा किसी भी निवेश करने से पहले वित्तीय, विभिन्न तुलन-पत्र अनुपातों और क्रेडिट रेटिंग के आधार पर किया जाता है। आवश्यकता होने पर, निवेश समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जैसा कि आईआरडीएआई नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है। निवेश प्रक्रियाओं के संबंध में, जांच और नियंत्रण समवर्ती लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, प्रणाली लेखा परीक्षकों और आईएफसी लेखा परीक्षकों और सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित किए जाते हैं।

(ग): एलआईसी विभिन्न आवधिक रिपोर्टें प्रकाशित करता है और आईआरडीएआई यह जांचने के लिए ऑन-साइट और ऑफ-साइट निरीक्षण भी करता है कि एलआईसी द्वारा किए गए निवेश आईआरडीएआई मानदंडों के अनुरूप हैं।

*****